कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 6/9/2018

कमांक/1775 /318/आउशि/अनु.ब/18. म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक एफ-73/52/38-3/99 दिनांक 28/10/1999 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उसमें कंडिका-10 पर अंकित शर्त जिसमें 01.01.96 से वेतनमान लागू होगे परन्तु अन्य सुविधाओं का लाभ भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 27.7.98 अथवा 6.11.98 से लागू मानी जावेगी।

2. उक्त अनुक्रम में म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28/10/99 एवं म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/73-5/2014/38-3 दिनांक 19-20/3/15 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ. 1/124 /2010/38-1, दिनांक 14/9/12 में अंकित चार्ट के स.क.-4 में उल्लेखित अर्हता के अनुसार परीक्षणोपरान्त पूर्व में विश्वविद्यालय की अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार स्वीकृत किये गये प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले **अनुदान प्राप्त अशासकीय महाराजा मानसिंह महाविद्यालय,ग्वालियर** के निम्न सहायक प्राध्यापक/अधिकारियों को पात्रतानुसार संबंधित प्राचार्य से प्राप्त जानकारी एवं अभिलेखों के आधार पर उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में अंकित तिथि से **चतुर्थ पे-बैण्ड वेतनमान (37400-67000+9000एजीपी)** स्वीकृत किया जाता हैः-

स.क.	**सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम**	**चतुर्थ पे-बैण्ड स्वीकृति का दिनांक**
1	2	3
1	डॉ.लक्ष्मी तोमर, सेनि सहा.प्राध्या. समाजशास्त्र	1.1.06

3. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के अनियमित/अधिक भुगतान हेतु वचन पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें । यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे है ।

4. यदि किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुये तत्काल जानकारी आयुक्त,उच्च शिक्षा को भेजें ।

5. यदि किसी अधिकारी द्वारा वेतनमान संबंधी न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो निर्णय के परिपेक्ष्य में वेतन निर्धारण/भुगतान कर प्रकरण का तत्काल निराकरण करते हुये इस कार्यालय को अवगत करावें।

6. शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों को पालन सुनिश्चित किया जावे । किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी ।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

6/9/18

(डॉ.सुषमा दुबे)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

निरंतर....2

पृ0क0/ 1776 /318/आउशि/अनु.ब/18 भोपाल,दिनांक 6/9/2018

प्रतिलिपिः-

1. माननीय मंत्री,उच्च शिक्षा,म.प्र.शासन के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर ।
4. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. संबंधित उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. कुलसचिव,जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर ।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,ग्वालियर-चंबल संभाग,ग्वालियर ।
8. वि.क.अ.(आई.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
9. प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, शासकीय अग्रणी आदर्श विज्ञान महाविद्यालय,ग्वालियर ।
10. प्राचार्य,अनुदान प्राप्त अशासकीय महाराजा मानसिंह महाविद्यालय,ग्वालियर । कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का करावे ।
11. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी,संबंधित कोषालय,ग्वालियर मध्यप्रदेश।
12 संबंधित अधिकारी,अनुदान प्राप्त अशासकीय महाराजा मानसिंह महाविद्यालय,ग्वालियर ।

..............................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल